संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्रांक–पी0 जी0 आई0 / मुख्य चिकि0 अधी0 / अधि0 / 03 / 2024 दिनांक : 01 जनवरी, 2024

परिपत्र

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट–ए 1694 आफ 2023 में दिनांक 13.4.2023 को पारित आदेशों के अनुक्रम में हास्पिटल अटेण्डेन्ट पद से ओ0टी0 असिस्टेन्ट पद पर पदोन्नति किए जाने के आशय से निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–पी0जी0आई0 / सी0एम0एस0 / अधि0 / 470 / 2023 दिनांक 4.2.2023 को कार्यालय आदेश संख्या पी0जी0आई0 / सी0एम0एस0 / अधि0 / 1690 / 2023 दिनांक 20.5.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा ऐम्स, नई दिल्ली में प्रचलित चयन नियमावली प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 20.5.2023 को प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र दिनांक 25.5.2023 के अनुक्रम में ऐम्स, नई दिल्ली से अपेक्षित सूचना पत्र दिनांक 30.5. 2023 द्वारा प्रेषित की गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं ऐम्स, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना आदि के आलोक में एजेण्डा संस्थान की शासी निकाय की बैठक दिनांक 14.8.2023 एवं दिनांक 16.11.2023 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। शासी निकाय की दिनांक 16.11.2023 को सम्पन्न बैठक द्वारा हास्पिटल अटेण्डेन्ट पद से ओ0टी0 असिस्टेन्ट पद पर पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में अधोलिखित निर्णय पारित किया गया हैः–

T'hc Governing Body directed that the hospital attendants be promoted as under:

For Promotion:

Hospital Attendants /Sanitary Attendant of any grade with three years of regular service in the grade and are matriculate (10th Pass).

Mode of recruitment: Written Examination

For Direct Recruitment:

The new Direct Recruitment henceforth be made in accordance with the prevalent qualifications as approved and existing in AIIMS. New Delhi (Recruitment Cell Office Memorandum dated 31st July 2023)

उपर्युक्त के आलोक में संस्थान में हॉस्पिटल अटेन्डेन्ट्स (of any Grade) के पद पर तीन वर्षो की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त निर्धारित अर्हता से सम्बन्धित शैक्षिक अर्हताओं की अंक तालिका व प्रमाण–पत्र की स्व–सत्यापित छायाप्रतियां प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न करके इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर चिकित्सालय अधिष्ठान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पदोन्नति हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
2. संस्थान की बेवसाइट के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों (हॉस्पिटल अटेन्डेन्ट्स) को प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. विभागाध्यक्ष, बायोस्टेटिक्स एण्ड हेल्थ इनफॉरमेटिक्स विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इस परिपत्र को संस्थान की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों (हॉस्पिटल अटेन्डेन्ट्स) को प्रेषित।
6. सम्बन्धित पत्रावली।
7. प्रशासनिक अधिकारी (चिकि0)

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक